11/3/2019 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट श्री श्रवण कुमार
चौधरी उपस्थित। अपीलांटगण की ओर से उनके अधिकृत
अभिकर्ता ने एक प्रार्थना-पत्र वास्ते "विड्रो करने अपील"
पेश किया जिसमें अपीलांटगण ने उल्लिखित किया है कि
उक्त प्रकरण में अब हमारे लोक अदालत की भावना
से राजीनामा की बात चल रही है इसलिए अब हम इस
अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। वकील अपीलांट
की इस प्रार्थना-पत्र को 'लोक अदालत की भावना' के मद्देनजर
स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती लिहाजा
प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर अपील अपीलांट जरिये विड्रोवल
खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तकमील होकर नंबर से कम हो।

11.3.19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner